विषयवार कालांश व्यवस्था

कक्षा 1 से 5 विषयवार कालांशभार

क्र.सं.	विषय	कक्षा 1–2	कक्षा 3–5
1.	हिन्दी	12	12
2.	अंग्रेजी	6	6
3.	गणित	12	9
4.	पर्यावरण	6	9
5.	कार्यानुभव	3	4
6.	कलाशिक्षा	3	4
7.	स्वा. एवं. शा.शिक्षा	6	4
	कुल कालांश	48 प्रति सप्ताह	48 प्रति सप्ताह

नोट : कक्षा 1 से 5 तक एक विषय का अध्यापन एक ही अध्यापक द्वारा करवाया जाएगा। यथा अध्यापक कक्षा 1 में गणित का अध्यापन करवा रहा है तो कक्षा 5 तक इस विषय का अध्यापन वही शिक्षक करवाएगा।

विषयवार कालांश व्यवस्था

कक्षा 6 से 8

क्र.सं.	विषय	कालांश व्यवस्था
1.	अंग्रेजी	6
2.	हिन्दी	6
3.	संस्कृत / पंजाबी	6
4.	गणित	6
5.	विज्ञान	6
6.	सामाजिक विज्ञान	6
7.	कार्य व शिक्षा कार्यानुभव	2
8.	कला शिक्षा	2
9.	पुस्तकालय	1
10.	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	2
11.	निदानात्मक शिक्षण	5
	योग	48 प्रति सप्ताह

विषयवार कालांश व्यवस्था

कक्षा 9 से 10

क्र.सं.	विषय	कालांश व्यवस्था
1.	भाषाएं	17
	हिन्दी	6
	अंग्रेजी	6
	तृतीय भाषा	5
2.	विज्ञान	8
3.	सामाजिक विज्ञान	8
4.	गणित	8
5.	राजस्थान अध्ययन	2
6.	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, खेल पद्धतियाँ 0 कालांश	2
7.	फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी (कम्प्यूटर शिक्षा)	2
8.	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा	1
	(2) कला शिक्षा	0
9.	नैतिक शिक्षा प्रार्थना सभा के साथ तथा अन्य विषयों के अध्ययन के साथ समाहित	
10.	पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान–प्रदान 0 कालांश/मध्य अंतराल में	

नोट :

1. ऐसे विद्यालय जहां कम्प्यूटर लेब की सुविधा नहीं है, वहां के संस्था प्रधान पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकतानुसार फाउण्डेशन ऑफ इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी के लिए निर्धारित कालांशो का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते है।
2. यदि किसी विद्यालय की कक्षा 9 से 10 में तृतीय भाषा के स्वीकृत विषयों में से कोई विषय यदि उस विद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है और विद्यार्थी उस विषय को अध्ययन एवं परीक्षा हेतु लेना चाहता है तो उस विद्यार्थी को उस तृतीय भाषा में स्व–अध्ययन की अनुमति बोर्ड नियमों के अनुसार शाला प्रधान द्वारा दी जा सकती है।

विषयवार कालांश व्यवस्था

कक्षा 11वीं

क्र.सं.	विषय	कालांश प्रति सप्ताह
1.	हिन्दी	6
2.	अंग्रेजी	6
3.	राजस्थान अध्ययन	3
4.	जीवन कौशल	3
5.	ऐच्छिक विषय	30
	प्रथम	10
	द्वितीय	10
	तृतीय	10
6.	नैतिक शिक्षा–प्रार्थना सभा एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है	
7.	शारीरिक शिक्षा एवं पुस्तकालय संबंधी कार्य 0 कालांश अथवा मध्य अन्तराल में	

नोट :

1. चित्रकला, संगीत व गृह विज्ञान में से अधिकतम दो विषय विद्यार्थी द्वारा लिये जा सकते है।
2. कम्प्यूटर, विज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रेक्टिस/मल्टीमीडिया एण्ड वेबटेक्नोलॉजी तथा गणित विषय का पाठ्यक्रम कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए समान है।
3. पूर्व में प्रचलित आर्थिक एवं वित्तीय अध्ययन विषय के स्थान पर अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम वाणिज्य एवं कला में समान है।

4. वाणिज्य विषय के विद्यार्थीयों को लेखाशास्त्र, व व्यवसाय अध्ययन के साथ अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर, विज्ञान, इन्फोर्मेटिक्स प्रेक्टिस/मल्टीमीडिया वेब, टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी, हिन्दी शीघ्र लिपि एवं टंकण लिपि एवं अंग्रेजी शीघ्र लिपि एवं टंकण लिपि में से किसी एक विषय का चयन कर सकता है।

5. विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान के साथ जीव विज्ञान, भू–विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान एवं गणित में से किसी एक विषय का चयन करना होगा।

6. कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, कम्प्यूटर का पाठ्यक्रम विज्ञान विषय के समान होगा।

7. कक्षा 11 से 12 में अधिकतम एक विषय में स्व. अध्ययन की अनुमति शाला प्रधान द्वारा दी जा सकती है।

विषयवार कालांश व्यवस्था

कक्षा 12वीं

क्र.सं.	विषय	कलांश प्रति सप्ताह
1.	हिन्दी	6
2.	अंग्रेजी	6
3.	राजस्थान अध्ययन	3
4.	समाज सेवा योजना (नियमित विद्यार्थीयों के लिए)	कक्षा 11 उत्तीर्णोपरान्त ग्रीष्मावकाश में 15 दिवसीय शिविर का आयोजन
5.	ऐच्छिक विषय	33
	प्रथम 11, द्वितीय–11, तृतीय–11	
	(प्रयोगात्मक कार्य वाले विषयों में 7 कालांश सैद्धान्तिक एवं 4 कालांश प्रायोगिक के)	
6.	नैतिक शिक्षा– प्रार्थना सभा, उत्सव आयोजनों एवं सभी विषयों के शिक्षण में समाहित है।	
7.	पुस्तकालय– पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान–प्रदान 0 कालांश/मध्य अन्तराल में	
8.	शारीरिक शिक्षा–शारीरिक शिक्षा एवं खेल गतिविधियां विद्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात् अपेक्षित।	

अध्यापकवार कालांश भार

1.	प्राधानाचार्य / प्रधानाध्यापक	– सप्ताह में 12 कालांश
2.	प्राध्यापक	– सप्ताह में 33 कालांश
3.	वरिष्ठ अध्यापक	– सप्ताह में 36 कालांश
4.	अध्यापक (लेवल 1 व लेवल 2)	– सप्ताह में 42 कालांश